(52)

COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

## समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र / 2016 पुनर्विलोकन   रिव्यू -2458-II-16

श्री ...... द्वारा आज दि. 25-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामेश्वर पुत्र श्री कोमलप्रसाद ब्राहमण, निवासी ग्राम मोहरी राय तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

.........आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

.........अनावेदक

**पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व संहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 1155/तीन /2013 में पारित आदेश दिनांक 16.2.2016 को पुर्नविलोकन किये जाने बावत ।**

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदक के द्वारा दिनांक 26.8.2004 को मान. तहसीलदार महोदय अशोकनगर के समक्ष ग्राम मोहरीकला स्थिति सर्वे कमांक 382,221,330,296,490,752,338,297 पर काफी समय से कब्जा धारी होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा हैं एंव उक्त जमीन पर मंदिर भी बना हुआ है। उक्त भूमि को अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य धारी घोषित व भूमि स्वामी बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जिस निरस्ती आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क 54/अपील/11–12 पर दर्ज हुई जो भी निरस्त आदेश दिनांक 27.9.2012 से कर दी गई जिस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील क 175/12–13 प्रस्तुत की गई वह अपील भी सुनवाई किये जाने योग्य न होने से आदेश दिनांक 11.1.2013 से निरस्त की गई ।

2. यहकि, अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो निगरानी 1155/तीन/2013 पर दर्ज हुई परन्तु श्रीमान महोदय द्वारा निगरानी यह कहते हुये निरस्त कर दी गई कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 में द्वितीय अपील का प्रावधान नही है। अपितु प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान है। एंव नवीन संशोधन नवम्बर 2011 के अनुसार निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता भी आयुक्त/अपर आयुक्त को नही है। जिसके कारण

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2458–दो/2016 जिला अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02–6–2016 | आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 155–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों ।<br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |